न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9567

दिनांक – 08.12.25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 लिखमाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी राईको की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर।		1 जोगाराम पुत्र खेमाराम वगैराह जाति राईका निवासी राईकों की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 118/2025 दिनांक– 28/11/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा राईको की ढाणी पटवार हल्का कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 469/288 रकबा 1.991 हैक्टेयर, खसरा संख्या 665/543 रकबा 12.0515 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर
दिनांक 08.12.25

क्रमांक :– रीडर/2025/ 9568-9571

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाडमेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी लिखमाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी राईको की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण जोगाराम पुत्र खेमाराम वगैराह जाति राईका निवासी राईकों की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.09 17:48:26 IST
Reason: SelfAttested